आन्ध्रा बैंक

Andhra Bank

असाधारण आम बैठक की सूचना के परिशिष्ट

गुरुवार 12.03.2015 को 11.30 बजे
स्थानः श्री सत्य साई निगमागमम, 8-3-987/2,
श्री नगर कालोनी, हैदराबाद – 500 073

ADDENDUM TO THE NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

on

Thursday, 12.03.2015 at 11.30 A.M.
at Sri Sathya Sai Nigamagamam, 8-3-987/2,
Sri Nagar Colony, Hyderabad - 500 073

प्रधान कार्यालय : डॉ. पट्टाभि भवन, 5-9-11, सैफाबाद, हैदराबाद – 500 004.
Head Office: Dr. Pattabhi Bhavan, 5-9-11, Saifabad, Hyderabad - 500 004.

आन्ध्रा बैंक

प्रधान कार्यालय : डॉ. पट्टाभि भवन

5-9-11, सैफाबाद, हैदराबाद - **500004**

तेलंगाना

महत्वपूर्ण घटनाओं का क्रम	
चुनाव में भाग लेने योग्य शेयरधारकों को निर्धारित करने के लिए नियत / कट-ऑफ तिथि	शुक्रवार, **30** जनवरी, **2015**
दिनांक ---- को या उसके पूर्व नामांकन फार्म प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	गुरुवार, **19** फरवरी, **2015** (सायं **5.00** बज़े तक)
नामांकन की जाँच	शुक्रवार, **20** फरवरी, **2015**
ई-वोटिंग	शुक्रवार, **06** मार्च, **2015** (प्रात: **10.00** बज़े से) से रविवार, **08** मार्च, **2015** (सायं **5.00** बज़े तक)
प्राधिकृत प्रतिनिधियों की नियुक्ति के प्रॉक्सी फार्म एवं संकल्प प्राप्त करने की अंतिम तिथि	शनिवार, **7** मार्च, **2015** (अपराह्न **2.00** बज़े तक)
असाधारण आम बैठक की तिथि एवं समय	गुरुवार, **12** मार्च, **2015** (प्रात:**11.30** बज़े)

CALENDAR OF IMPORTANT EVENTS

Specified / Cut – off date for ascertaining the shareholders entitled to participate in the election	Friday, 30th January, 2015
Last date for submission of nomination forms on or before	Thursday, 19th February, 2015 (Upto 5.00 p.m.)
Scrutiny of Nominations	Friday, 20th February, 2015
E-Voting	Friday, 06th March, 2015 (From 10.00 a.m.) to Sunday, 08th March, 2015 (Till 5.00 p.m.)
Last date of receipt of Proxy Forms and resolutions appointing Authorised Representatives	Saturday, 7th March, 2015 (Upto 2.00 p.m.)
Date and time of Extraordinary General Meeting	Thursday, 12th March, 2015 (At 11.30 a.m.)

प्रधान कार्यालय : **डॉ.पट्टाभि भवन,** 5-9-11, **सैफाबाद, हैदराबाद –** 500 004.

शेयरधारक एवं निवेशक शिकायत कक्ष : **डॉ.पट्टाभि भवन,** 5-9-11, **सैफाबाद, हैदराबाद –** 500 004.

रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट : मेसर्स एमसीएस लिमिटेड, काशीराम जमनादास बिल्डिंग, ऑफिस संख्या 21/22, **भूतल** 5, **पी डीमेलो रोड, घड़ियाल गोदी, मुम्बई –** 400 009.

Head Office : Dr. Pattabhi Bhavan, 5-9-11, Saifabad, Hyderabad - 500 004.

Shareholders & Investor Grievances Cell : Dr. Pattabhi Bhavan, 5-9-11, Saifabad, Hyderabad - 500 004.

Registrar & Share Transfer Agents : M/s. MCS Limited, Kashiram Jamnadas Bldg, Office No. 21/22, Ground Floor 5, P.D'Mello Road, Ghadiyal Godi, Mumbai - 400 009.

आन्ध्रा बैंक

विभाग : बोर्ड सचिवालय

(मर्चेंट बैंकिंग प्रभाग)

प्रधान कार्यालय : हैदराबाद

असाधारण आम बैठक की सूचना के परिशिष्ट

दिनांक 12 मार्च, 2015 को प्रातः 11.30 बज़े श्री सत्य साई निगमागमम, 8-3-987/2, श्री नगर कालोनी, हैदराबाद - 500 073 में आयोजित होने वाली बैंक के शेयरधारकों की असाधारण आम बैठक के संबंध में सूचना दिनांक 30.01.2015 (बैठक की सूचना) के संबंध में बैंक के शेयरधारकों को आन्ध्रा बैंक (दि बैंक) एतद्द्वारा सूचना देता है कि बैंक के निदेशक मंडल ने निम्न उद्देश्य हेतु बैठक की सूचना (परिशिष्ट) की सूचना का परिशिष्ट जारी करने का निर्णय लिया है ।

बैठक की सूचना में परिभाषा के परिशिष्ट का वहीं अर्थ है, जबतक कि इस परिशिष्ट में अन्यथा अपडेट न किया गया है ।

इस परिशिष्ट द्वारा बैंक निम्न की सूचना देता है :

1. अतिरिक्त संकल्प
   निम्न अनुसार अतिरिक्त संकल्प बैठक की सूचना में जोड़े गए हैं ।
2. व्याख्यात्मक विवरण – अनुपूरक सूचना :
   इस परिशिष्ट द्वारा बैठक की सूचना के व्याख्यात्मक विवरण में निम्न अनुसार 'अतिरिक्त संकल्प' के संबंध में सूचना जोड़ी गयी है ।

निम्नलिखित विशेष संकल्प पर विचार करने और यदि उचित पाया गया, आशोधन के साथ या बिना आशोधन पारित करना:

"संकल्प किया गया कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 और आन्ध्रा बैंक(शेयर और बैठक) विनियम, 1998 के और समय-समय पर यथा संशोधित प्रावधानों और इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक (आर बी आई), भारत सरकार (जी ओ आई), भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी), और / या किसी अन्य प्राधिकारी से यथापेक्षित अनुमोदन, सहमति, मंजूरी, यदि कोई हो, और ऐसे अनुमोदन प्रदान करने हेतु उनके द्वारा यथा निर्धारित ऐसे निबंधन, शर्त और आशोधन, जिससे बैंक का निदेशक मंडल सहमत हो, की शर्त पर, और सेबी(पूंजी और प्रकटन अपेक्षा) विनियमन 2009 (सेबी आईसीडीआर विनियमन) और भारतीय रिज़र्व बैंक और सभी अन्य संबंधित प्रधिकारियों द्वारा समय-समय पर निर्धारित विनियम की शर्त पर और शेयर बाजारों में, जिनमें बैंक के ईक्विटी शेयर सूचीबद्ध हों, के साथ किए गए सूचीकरण करार की शर्त पर, बैंक के निदेशक मंडल (इसके बाद 'बोर्ड' कहा गया है, जिससे यह माना गया कि इस संकल्प द्वारा प्रदत्त शक्तियों सहित अपनी शक्तियों का प्रयोग करने हेतु बोर्ड द्वारा गठित या इसके बाद गठन की जानेवाली पूंजी निर्गम समिति शामिल है) को 120 करोड़ रु. सकल मूल्य तक पूँजी जुटाने हेतु रु 90.69 पै (प्रति शेयर रु 80.69 पै प्रीमिय सहित) नकद पर 10/- रु. प्रत्येक के 1,32,31,888 ईक्विटी शेयरों को भारत सरकार को ऐसे निर्गम मूल्य पर, जिसे सेबी आईसीडीआर विनियम, 2009 के विनियम 76(1) के अनुरूप बोर्ड द्वारा तय किया जाएगा, सृजन, आफर, निर्गम और आबंटन करने हेतु शेयरधारकों की सहमति एतदद्वारा प्रदान की जाती है।"

"आगे यह भी संकल्प किया गया कि निर्गम मूल्य तय करने हेतु संबंधित तारीख 10.02.2015 है।"

"आगे यह भी संकल्प किया गया कि बोर्ड को प्रस्ताव में भारत सरकार/ भारतीय रिज़र्व बैंक/ भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड/ शेयर बाजार, जिनमें बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं या ऐसे अन्य उचित प्राधिकारी द्वारा इनके निर्गम, आबंटन और सूचीकरण के समय अपना अनुमोदन, सहमति, अनुमति और मंजूरी प्रदान करते समय यथापेक्षित या लागू किए गए और बोर्ड द्वारा यथा सहमत आशोधन स्वीकारने का प्राधिकार और शक्ति उपलब्ध होगा।"

"आगे यह भी संकल्प किया गया कि उक्त निर्गम किए जाने वाले ईक्विटी शेयर बैंक के विद्यमान ईक्विटी शयरों के समरूप होंगे और घोषित लाभांश, यदि कोई हो, हेतु ऐसे लाभांश की घोषणा के समय लागू सांविधिक दिशा-निर्देशों के अनुरूप पात्र होंगे।"

"आगे यह भी संकल्प किया गया कि इस संकल्प को प्रभावी बनाने के प्रयोजन हेतु, बोर्ड को ऐसे कार्य, कृत्य, मामले और विषय, करने का प्राधिकार दिया जाए और एतदद्वारा प्रदान किया जाए, जो अपने पूर्ण विवेक के आधार पर आवश्यक, उचित और वांछनीय प्रतीत हो और ईक्विटी शेयरों के निर्गम के संबंध में उठने वाले किसी प्रश्न, समस्या या शंका को निपटाने और आगे ऐसे कार्य, कृत्य, मामले और विषयों को अंतिम रूप देने और ऐसे सभी आवश्यक, उचित और समीचीन प्रलेख और लेखनी निष्पादित करने, जिन्हें अपने पूर्ण विवेक के आधार पर उपयुक्त, उचित या वांछनीय माने जिसके आशय और उद्देश्य के लिए शेयरधारकों से और सहमति या अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता न हो और यह माना जाएगा कि शेयरधारकों ने इस संकल्प के प्राधिकार से इस प्रयोजन के लिए स्पष्ट अनुमोदन प्रदान किया है।"

"आगे यह भी संकल्प किया गया कि उपर्युक्त संकल्प प्रभावी बनाने हेतु बोर्ड को इससे प्रदत्त सभी या कोई अधिकार अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा/अथवा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अनुपस्थिति में कार्यपालक निदेशक को प्रत्यायोजित करने हेतु प्राधिकार एतदद्वारा प्रदान किया जाता है।"

निदेशक मंडल के आदेश से
वाई. अमरनाथ
कंपनी सचिव

स्थान : हैदराबाद
तारीख : 13.02.2015

अध्याय XIII(सेबी-आईसीडीआर) विनियम, 2009 के अनुसार अपेक्षित वर्णनात्मक विवरण और प्रकटन

भारत सरकार को अधिमान्य आबंटन के रूप में ईक्विटी शेयर जारी कर पूंजी जुटाना :

ए) अधिमान्य इश्यु का उद्देश्य :

बढ़ते व्यवसाय स्तर से उत्पन्न भावी पूंजी अपेक्षाओं को पूरा करने, जोखिम भारित आस्तियों में वृद्धि के कारण बैंक भारत सरकार से ईक्विटी इंश्युरेंस के रूप में टीयर-1 पूंजी को शोर-अप करने का प्रस्ताव रखता है।

बी) रु. 120 करोड़ (प्रीमियम सहित) के ईक्विटी शेयर तक भारत सरकार - बैंक के प्रोमोटर को अधिमान्य आधार पर आबंटित किया जाएगा।

ग) निर्गम के पूर्व और निर्गम के पश्चात् शेयर धारण का स्वरूप

क्र.सं.	श्रेणी	निर्गम के पहले (06.02.2015 तक)		निर्गम के बाद	
		धारित शेयरों की संख्या	पूर्व-आबंटन प्रदत्त पूंजी का प्रतिशत	धारित शेयरों की संख्या	पूर्व-आबंटन प्रदत्त पूंजी का प्रतिशत
क.	**प्रमोटर्स के पास**				
1.	प्रमोटर्स				
	भारत सरकार	**354614903**	**60.1435**	**367846791**	**61.0183**
	विदेशी प्रमोटर्स	-	-		
2.	**समूह के रूप में कार्यरत व्यक्ति**	-	-		
	उप जोड़ (1 और 2)	**354614903**	**60.1435**	**367846791**	**61.0183**
ख.	**गैर-प्रमोटर के पास**				
3.	**संस्थागत निवेशक**				
क)	म्युचुअल फंड और यूटीआई	22534591	3.8219		
ख)	बैंक, वित्तीय संस्थान, बीमा कंपनियाँ (केन्द्रीय/राज्य संस्थान/गैर सरकारी संस्थाएं)	69127996	11.7243		
ग)	विदेशी संस्थागत निवेशक	49689488	8.4274		
	उप जोड़	**141352075**	**23.9736**		
4.	**अन्य**				
क)	निजी कार्पोरेट निकाय	13214034	2.2411		
ख)	भारतीय जनता	77482416	13.1412		
ग)	अनिवासी भारतीय/ओसीबी	1567621	0.2659		
घ)	अन्य कोई	1383854	0.2347		
	उप जोड़	**93647925**	**15.8829**		
	उप जोड़ (3 और 4)	**235000000**	**39.8565**	**235000000**	**38.9817**
	सकल जोड़	**589614903**	**100.0000**	**602846791**	**100.0000**

घ) सेबी आईसीडीआर विनियमन, 2009 में सुझाये अनुसार निर्धारित समय सीमा के अंदर निर्गम प्रक्रिया को पूरा करने के लिए बैंक पूर्ण प्रयास करेगा.

ड़) चूँकि सम्पूर्ण निर्गम प्रधान शेयर घारक और बैंक के प्रमोटर भारत सरकार के लिए प्रस्तावित है, नियंत्रण में कोई परिवर्तन नहीं है.

निर्गम के पूर्व और निर्गम के पश्चात् भारत सरकार के शेयर धारण का स्वरूप निम्न प्रकार होगा :

	शेयरों की संख्या	**प्रदत्त पूँजी का प्रतिशत**
निर्गम से पहले	**354614903**	**60.1435**
निर्गम के बाद	**367846791**	**61.0183**

एफ. भारत सरकार ने अपने 09 फरवरी, 2015 के पत्र द्वारा भारत सरकार के नाम में बैंक के अधिमान्य ईक्विटी के रूप में रु. 120 करोड़ (रुपये एक सौ बीस करोड़ मात्र) तक पूंजी इन्फ्यूज करने की अपनी मंशा सूचित की है ।

जी. बैंक के प्रमोटर होने के नाते भारत सरकार बैंक पर अपना नियंत्रण जारी रखेगी और प्रस्तावित अधिमान्य आबंटन के परिणामस्वरूप प्रबंधन / नियंत्रण में कोई परिवर्तन नहीं होगा ।

एच. बैंक के ईक्विटी शेयर को 6 महीने से अधिक समय हेतु लिस्ट किया गया है । अतएव सेबी-आईसीडीआर के विनियमन 2009 के विनियम 76(3) और 78(5) के प्रावधान लागू नहीं हैं 1

आई. अधिमान्य इश्यु हेतु सेबी दिशा-निर्देश के अनुसार प्रमोटरों अर्थात् भारत सरकार को अधिमान्य आधार पर जारी किये जाने वाले प्रस्तावित शेयर ट्रेडिंग अनुमोदन की तारीख से 3 वर्ष की अवधि के लिए लॉक-इन के अधीन होगा ।

जे. भारत सरकार के सभी पूर्व अधिमान्य होल्डिंग स्टॉक-एक्सचेंज द्वारा मंजूर अनुमोदन की लिस्टिंग तारीख से 6 महीने की अवधि तक के लिए लॉक-इन रहेगा ।

के. सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा यह प्रमाणित करते हुए प्रमाण पत्र कि इन विनियमों की अपेक्षाओं के अनुरूप इश्यु बनाया जा रहा है जिसे असाधारण सामान्य बैठक में रखा जाएगा ।

एल. भारत सरकार के सभी शेयर डीमेटीरियलाइजड मोड में हैं । बैंक के शेयर जिन शेयर बाजार केन्द्रों में लिस्ट किये गये हैं, उनके साथ किये गये लिस्टिंग करार में निर्धारित अनुसार बैंक पूँजी शेयरों के अनवरत लिस्टिंग के शर्तों का अनुपालन करेगा. संबद्ध तिथि से तीन महीने पूर्व अवधि के दौरान भारत सरकार ने बैंक के शेयरों की बिक्री नहीं की.

एम बैंक द्वारा भारत के विभिन्न स्टॉक-एक्सचेंज, जहाँ बैंक के ईक्विटी शेयर लिस्टेड हैं, के साथ निष्पादित लिस्टिंग करार के खण्ड-23 अन्य के साथ यह भी प्रावधान करता है कि अतिरिक्त शेयरों के आबंटन द्वारा बैंक की जारी पूंजी में वृद्धि का प्रस्ताव है तो ऐसे शेयरों को बैंक के विद्यमान शेयरधारकों को बैंक के शेयर होल्डिंग के अनुपात में पहले ऑफर किया जाएगा जबतक शेयरधारक निर्णय नहीं लेता है अन्यथा साधारण बैठक में विशेष संकल्प द्वारा ।

*****

Andhra Bank
Dept: Board Secretariat
(Merchant Banking Division)
Head Office :: Hyderabad.

ADDENDUM TO THE NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given to the shareholders of the Bank that, in relation to the Notice of Extraordinary General Meeting dated 30.01.2015 (*Notice of Meeting*) in respect of Extraordinary General Meeting of shareholders of the Bank to be held at 11.30 A.M. on 12th March, 2015 at Sri Sathya Sai Nigamagamam, 8-3-987/2, Sri Nagar Colony, Hyderabad-500 073, the Board of Directors of the Bank have determined to issue this ADDENDUM to the Notice of Meeting (*Addendum*) for the purpose set out below:

By this *Addendum, the Bank* gives notice of :

1. Additional Agenda

   Resolution as set out hereunder are added to the *Notice of Meeting*.

2. Explanatory Statement – Supplementary information :

   By this *Addendum*, Explanatory Statement to *the Notice of Meeting* are supplemented by the information in respect of 'Additional Resolution' as set out hereunder:

Additional Agenda: Raising of capital by issuance of equity shares by way of preferential allotment to Government of India:

To consider and if thought fit pass with or without modification the following Special Resolution:

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 and Andhra Bank (Shares and Meetings)Regulations, 1998 and amended from time to time and subject to the approvals, consents, sanctions, if any, of Reserve Bank of India (RBI), Government of India (GOI), Securities and Exchange Board of India (SEBI), and / or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to SEBI (Issue of Capital & Disclosure Requirements) Regulations, 2009 (SEBI ICDR Regulations) and regulations prescribed by RBI and all other relevant authorities from time to time and subject to the Listing Agreements entered into with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called "the Board" which shall be deemed to include Capital Issues Committee which the Board may have constituted or hereafter constitute, to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution) to raise capital by creating, offering, issuing and allotting, on preferential basis to Government of India, **1,32,31,888** equity shares of face value of Rs.10/- each for cash at **Rs.90.69p**. per share **(including premium of Rs.80.69p. per share)** as may be determined by the Board in accordance with Regulation 76 (1) of SEBI ICDR Regulations, 2009, and aggregating upto Rs.120 Crore.

"**RESOLVED FURTHER THAT** the Relevant Date for determination of the Issue Price is 10.02.2015.

"**RESOLVED FURTHER THAT** the Board shall have authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the Government of India / Reserve Bank of India / Securities and Exchange Board of India/ Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board."

"**RESOLVED FURTHER THAT** the said equity shares to be issued shall rank pari passu with the existing equity shares of the Bank and shall be entitled to dividend declared, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration."

"**RESOLVED FURTHER THAT** for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board be and is hereby authorised to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deem necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the equity shares and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalise and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorise to the end and intent that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of this resolution”

"**RESOLVED FURTHER THAT** the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred to the Chairman and Managing Director and/or to the Executive Director in the absence of the Chairman and Managing Director to give effect to the aforesaid Resolutions."

By order of the Board of Directors

Place : Hyderabad
Date : 13.02.2015

Y. Amarnath
Dy.General Manager &
Company Secretary

Explanatory Statement and Disclosure as required to be made in terms of Chapter XIII, SEBI (ICDR) Regulations, 2009.

Raising of capital by issuance of equity shares by way of Preferential allotment to Government of India:

a) **Object of the Preferential Issue:**

To meet the future capital requirements arising out of the growing business levels, growth in Risk Weighted Assets, the Bank proposes to shore up Tier I Capital, by way of equity infusion from Government of India.

b) The equity shares to the tune of Rs.120 Crores (including premium) will be allotted on preferential basis to Government of India – the Promoter of the Bank.

c) Shareholding Pattern before and after the Issue

Sl. No.	Category	Pre-allotment (as on 06.02.2015)		Post allotment	
		No. of shares held	% of pre-allotment paid-up capital	No. of shares held	% of Post-allotment Paid Up Capital
A.	**Promoter's Holding**				
1	**Promoters**				
	Government of India	**354614903**	**60.1435**	**367846791**	**61.0183**
	Foreign promoters	-	-		
2	**Persons acting in concert**	-	-		
	Sub Total of (1 & 2)	**354614903**	**60.1435**	**367846791**	**61.0183**
B	**Non –Promoter Holding**				
3	**Institutional Investors**				
a	Mutual Funds and UTI	22534591	3.8219		
b	Banks, Financial Institutions, Insurance Companies (Central/ State Govt.Institutions / Non-Govt. Institutions)	69127996	11.7243		
c.	FIIs	49689488	8.4274		
	Sub Total	**141352075**	**23.9736**		
4	**Others**				
a	Private Corporate Bodies	13214034	2.2411		
b	Indian Public	77482416	13.1412		
c	NRIs/OCBs	1567621	0.2659		
d	Any Other	1383854	0.2347		
	Sub Total	**93647925**	**15.8829**		
	Sub Total of (3) and (4)	**235000000**	**39.8565**	**235000000**	**38.9817**
	Grand Total	**589614903**	**100.0000**	**602846791**	**100.0000**

d) The Bank shall endeavour to complete the issue process within the prescribed time lines as indicated in SEBI (ICDR) Regulations, 2009.

e) As the entire issue is proposed to be made to the Government of India, the major shareholder and Promoter of the Bank, there would not be any change in control.

The Pre and Post issue shareholding of the Government of India would be as under:

	Number of Shares	Percentage to Paid-up Capital
Pre Issue	**354614903**	**60.1435**
Post Issue	**367846791**	**61.0183**

f) Government of India vide their letter dated 9th February, 2015 communicated its intention to infuse capital to the extent of Rs. 120 crore (Rupees One Hundred and Twenty Crore only) by way of preferential allotment of equity in the Bank in favour of the Government of India.

g) Government of India, being Promoters of the Bank will continue to vest their control over the Bank and there will not be any change in the management / control on the Bank as a result of the proposed preferential allotment

h) The equity shares of the Bank have been listed for more than six months and accordingly, provisions of Regulation 76 (3) and 78 (5) of SEBI (ICDR) Regulations, 2009, are not applicable.

i) As per SEBI Guidelines for Preferential Issues, the shares proposed to be issued on preferential basis to the Promoters i.e. Government of India and shall be subject to a lock-in of three years from the date of trading approval.

j) The entire pre-preferential holding of Government of India will be locked for a period commencing from the Relevant Date to a period of six months from the date of listing approval granted by the stock exchanges.

k) The Certificate issued by the Statutory Auditor(s) certifying that the issue is being made in accordance with the requirements of these regulations will be tabled at the Extraordinary General Meeting.

l) All the shares held by the Government of India are in dematerialised mode and the Bank is in compliance with the conditions of continuous listing of equity shares as specified in the Listing Agreement with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed. The Government of India has not sold any equity shares of the Bank during the six months preceding the Relevant Date.

m) Clause 23 of the Listing Agreements executed by the Bank with the various stock exchanges in India where the Bank's Equity Shares are listed, provide inter-alia that when it is proposed to increase the issued capital of the Bank by allotment of further shares, such shares, shall be first offered to the existing shareholders of the Bank for subscription in proportion to their shareholding in the Bank unless the shareholders decide otherwise in a general meeting by a special resolution.

स्पीड पोस्ट
SPEED POST

यदि सुपुर्द न किया गया हो तो निम्न को वापस करें :
मेसर्स एमसीएस लिमिटेड,
यूनिट : आन्ध्रा बैंक
काशीराम जमनादास बिल्डिंग, ऑफिस संख्या 21/22
भूतल 5, पी डी मेलो रोड,
घडियाल गोदी, मुम्बई – 400009
दूरभाष नं. : 022-23726253/54/55
ई. मेल आई डी uday_mcs@yahoo.in

If Undelivered, Please return to:
M/s. MCS Limited,
Unit : Andhra Bank
Kashiram Jamnadas Bldg, Office No. 21/22,
Ground Floor 5, P.D'Mello Road,
Ghadiyal Godi, Mumbai - 400 009.
Ph. No. : 022-23726253/54/55
E-mail ID : uday_mcs@yahoo.in

आन्ध्रा बैंक
Andhra Bank
(A Govt. of India Undertaking)

प्रधान कायालय : डा. पट्टाभि भवन, 5-9-11, सैफाबाद, हैदराबाद – 500 004.
Head Office: Dr. Pattabhi Bhavan, 5-9-11, Saifabad, Hyderabad - 500 004.

Print@ Karshak: 040-27618261